फैसल 6.5.26

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर

जीयाराम पुत्र किसनाराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर

राजस्व विविध प्रार्थना संख्या :102/2026

अन्तर्गत धारा :– धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.05.2026	प्रार्थी जीयाराम पुत्र किसनाराम निवासी जाजीवाल विश्नोईयान तहसील झंवर द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम राबड़ियावास पटवार हल्का धवा प्रथम तहसील झंवर के खसरा नंबर 119 रकबा 22.8323 हैक्टेयर कृषि भूमि आई हुई है जिसमे प्रार्थी का नाम जीवनराम पुत्र किसनाराम दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक एवं सही नाम जीयाराम पुत्र किसनाराम है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी पैतृक कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम जीवनराम पुत्र किसनाराम के स्थान पर जीयाराम पुत्र किसनाराम किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार झंवर को प्रार्थना पत्र की जांच लिखा गया। तहसीलदार झंवर के पत्र क्रमांक भू.अ./2026/89 दिनांक 24.04..2026 के द्वारा प्रार्थना पत्र की जांच रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की पेश की गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार झंवर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की ग्राम राबडियावास के खसरा संख्या 119 की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2075–2078 ग्राम राबडियावास के खाता संख्या 201 खसरा नंबर 119 में जीवनराम पुत्र किसानाराम जाति विश्नोई सा. जाजीवाल विश्नोईयान की जमाबंदी में जीयाराम पुत्र किसनाराम है एंव जमाबंदी सम्वत 2030–2033 में जीवाराम पुत्र किसनाराम दर्ज है। प्रार्थी के संलग्न दस्तावेजो तथा मजमे आम में पुछताछ के आधार पर ग्राम राबडियावास की जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 201 खसरा संख्या 119 में जीवनराम पुत्र किशनाराम के स्थान पर जीयाराम पुत्र किसनाराम शुद्ध किया जाना उचित बताया है। पत्रालवी का अवलोकन किया गया। तहसीलदार झंवर द्वारा ग्राम राबडियावास के खसरा संख्या 119 में खातेदार का जीवनराम पुत्र किशनाराम के स्थान पर जीयाराम पुत्र किसनाराम शुद्ध किया जाना उचित बताया है। पत्रावली में प्रार्थी की ओर से अपने अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि पेश किये गये जिसमें प्रार्थी का नाम जीयाराम पुत्र किसनाराम दर्ज है। प्रार्थी की ओर से अपनी अन्य कृषि भूमि ग्राम जाजीवाल विश्नोईया तहसील झंवर के खाता संख्या 169 जमाबंदी संवत 2081 पेश की गई जिसमें प्रार्थी का सही नाम जीयाराम पुत्र किसनाराम दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत नाम शुद्धि का स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन, तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झंवर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम राबड़ियावास पटवार हल्का धवा प्रथम तहसील झंवर के खसरा नंबर 119 रकबा 22.8323 हैक्टेयर कृषि भूमि के राजस्व रैकर्ड में खातेदार प्रार्थी का नाम जीवनराम पुत्र किसनाराम के स्थान पर जीयाराम पुत्र किसनाराम दर्ज कर रेकर्ड दुरस्ती का अमल दरामद करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। हंसमुख कुमार सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	